विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 31

विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	संशोधित 2009-2010 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़
राजस्व		629.00	5139.00	5768.00	414.50	5096.00	5510.50	321.60	5300.00	5621.60
पूंजी		*...*	*525.00*	*525.00*	*297.50*	*525.00*	*822.50*	*378.40*	*375.00*	*753.40*
जोड़		**629.00**	**5664.00**	**6293.00**	**712.00**	**5621.00**	**6333.00**	**700.00**	**5675.00**	**6375.00**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	211.15	211.15	...	218.79	218.79	...	234.07	234.07
2. *विदेश कार्य*										
2.1 राजदूतावास और मिशन	2061	...	1246.33	1246.33	...	1288.05	1288.05	...	1307.49	1307.49
2.2 पासपोर्ट और उत्प्रवास	2061	...	400.85	400.85	...	410.84	410.84	...	382.77	382.77
2.3 प्रशिक्षण	2061	...	9.82	9.82	...	9.66	9.66	...	9.82	9.82
2.4 विशेष राजनयिक व्यय	2061	...	1178.40	1178.40	...	1178.40	1178.40	...	1200.01	1200.01
2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें	2061	...	2.33	2.33	...	1.00	1.00	...	2.35	2.35
2.6 मनोरंजन प्रभार	2061	...	35.00	35.00	...	32.17	32.17	...	30.00	30.00
2.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	50.00	237.09	287.09	1.00	196.19	197.19	5.00	247.14	252.14
2.8 अन्य व्यय										
(क) अन्य प्रभार	2061	...	3.45	3.45	...	3.67	3.67	...	3.60	3.60
(ख) अन्य स्कीमें	2061	...	4.50	4.50	...	4.99	4.99	...	4.25	4.25
(ग) विशेष शिष्ट मंडल	2061	...	17.30	17.30	...	17.30	17.30	...	17.30	17.30
(घ) हज पर व्यय	2061	...	6.00	6.00	...	9.81	9.81	...	9.80	9.80
(ङ) अन्य विदेश तीर्थ यात्रा से संबंधित व्यय	2061	...	0.63	0.63	...	0.71	0.71	...	0.70	0.70
(च) संस्थाओं को अनुदान	2061	...	175.60	175.60	...	160.36	160.36	...	164.02	164.02
(छ) विशेष कार्यक्रम	2061	...	22.02	22.02	...	22.87	22.87	...	22.60	22.60
(ज) मिशनों को विशेष अनुदान	2061	...	14.47	14.47	...	14.06	14.06	...	15.69	15.69
(झ) विदेश मंत्रालय के होस्टल और आवासीय काम्पलैक्स	2061	...	4.05	4.05	...	4.33	4.33	...	6.03	6.03
जोड़-अन्य व्यय		**...**	**248.02**	**248.02**	**...**	**238.10**	**238.10**	**...**	**243.99**	**243.99**
जोड़-विदेश कार्य		**50.00**	**3357.84**	**3407.84**	**1.00**	**3354.41**	**3355.41**	**5.00**	**3423.57**	**3428.57**
3. विविध सामान्य सेवाएं - मुद्रा विनिमय द्वारा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम										
(i) बंगलादेश	3605	...	8.00	8.00	...	3.76	3.76	...	6.00	6.00
(ii) भूटान	3605	401.00	560.00	961.00	321.50	682.98	1004.48	215.60	700.00	915.60
	7605	...	...	...	297.50	...	297.50	378.40	...	378.40
	जोड़	*401.00*	*560.00*	*961.00*	*619.00*	*682.98*	*1301.98*	*594.00*	*700.00*	*1294.00*
(iii) नेपाल	3605	118.00	120.00	238.00	...	150.00	150.00	1.00	150.00	151.00
(iv) श्रीलंका	3605	...	90.00	90.00	...	80.00	80.00	...	90.00	90.00
(v) मालदीव	3605	...	7.00	7.00	...	3.50	3.50	...	3.00	3.00
(vi) म्यांमार	3605	25.00	20.00	45.00	25.00	30.00	55.00	60.00	30.00	90.00
(vii) अन्य विकासशील देशों को सहायता	3605	...	36.55	36.55	...	36.55	36.55	...	34.35	34.35

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
(viii) आपदा राहत के लिए सहायता	3605	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
(ix) आईटीईसी-कार्यक्रम	3605	...	70.00	70.00	...	85.00	85.00	...	100.00	100.00
(x) सार्क कार्यक्रम	3605	...	20.00	20.00	...	22.00	22.00	...	15.00	15.00
(xi) स्काप कार्यक्रम	3605	...	8.00	8.00	...	9.00	9.00	...	10.00	10.00
(xii) अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	100.00	100.00	...	125.00	125.00	...	150.00	150.00
(xiii) बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम (एमईआर कार्यक्रम)	3605	...	15.00	15.00	...	8.00	8.00	...	15.00	15.00
(xiv) निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम	3605	...	16.40	16.40	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
(xv) यूरोएशियाई देश	3605	...	48.00	48.00	...	20.00	20.00	...	40.00	40.00
(xvi) लेटिन अमरीकी देशों को सहायता	3605	...	4.00	4.00	...	2.00	2.00	...	4.00	4.00
(xvii) अफगानिस्तान को सहायता	3605	35.00	407.05	442.05	67.00	220.00	287.00	40.00	250.00	290.00
(xviii) मंगोलिया	7605	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	...	...
	जोड़	*579.00*	*1695.00*	*2274.00*	*711.00*	*1647.79*	*2358.79*	*695.00*	*1642.35*	*2337.35*
5. लोक निर्माण कार्य	4059	...	275.00	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	275.00
6. आवास	4216	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00
कुल जोड़		***629.00***	***5664.00***	***6293.00***	***712.00***	***5621.00***	***6333.00***	***700.00***	***5675.00***	***6375.00***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना	13605	629.00	...	629.00	712.00	...	712.00	700.00	...	700.00

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं**ः इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय और मुख्यालय में विज्ञापन एवं प्रचार संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश मामलेः** इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए आबंटन किया गया हैः

2.1 **राजदूतावास तथा मिशन**ः इसमें विदेशों में 168 मिशनों/केन्द्रों पर भारतीय प्रतिनिधित्व के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.2 **पासपोर्ट तथा उत्प्रवासः** इसमें 30 पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा प्रलेखों के मुद्रण, पासपोर्ट संबंधी आवेदनों और फाइलों की स्केनिंग, पासपोर्ट प्रिंटरों को पट्टे पर देने और पासपोर्टों के मुद्रण, पासपोर्ट प्रिंटरों की खरीद, पीओ के कम्प्युटरीकरण, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अधिनियमों आदि को प्रशासित करने के लिए भुगतान संबंधी व्यय के लिए प्रावधान है।

2.3 **प्रशिक्षणः** इसमें विदेश सेवा संस्थान के कार्यकलापों के लिए प्रावधान है। इन कार्यकलापों में विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विचारगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना शामिल है।

2.4 **विशेष राजनयिक व्ययः** इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.6 **मनोरंजन प्रभार**ः इस शीर्ष में अतिविशिष्ट व्यक्ति आगुंतकों सहित विदेशों के उच्चाधिकारियों का आतिथ्य सत्कार करने पर हुए व्यय, आगुंतक अतिविशिष्ट व्यक्ति शिष्टमंडलों के लिए विमानों को किराए पर लेने की लागत और हैदराबाद हाऊस के रखरखाव पर खर्च की व्यवस्था की गई है।

2.7 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** इसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अनिवार्य जिसमें भारत एक सदस्य देश है तथा सार्क आदि जैसे क्षेत्रीय संगठनों को अनिवार्य अंशदान के लिए प्रावधान है। आयोजना पक्ष में, नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।

2.8 **अन्य व्ययः** इसमें सीमाओं के निर्धारण, ओबजेक्ट-डी आर्ट्स की खरीद, भारतीय विस्थापितों, का प्रत्यार्वतन, युद्ध और नागरिक उपद्रवों के कारण बाहर गए भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना, विदेशों में उच्च स्तरीय दौरे, संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष शिष्टमंडलों, हज सद्भावना शिष्टमंडल, मानसरोवर तीर्थयात्रा, विदेश मंत्रालय के होस्टलों और आवासीय काम्पलैक्स, संस्थानों को सहायता अनुदान मिशनों/विदेशी केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए मिशनों/केन्द्रों को अनुदान पर होने वाले व्यय हेतु प्रावधान है। इस शीर्ष के अन्तर्गत जिन प्रमुख अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए आबंटन किया गया है वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) है। बजट आबंटन में वृद्धि मुख्य रूप से सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में भारी वृद्धि होने, आईसीसीआर द्वारा प्रशासित विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के दर्जो में वृद्धि होने और विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्रों को खोलने के कारण हुई है। यहां यह उल्लेख करना होगा कि विदेश मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति ने परिषद के लिए और अधिक निधियों के प्रावधान की सिफारिश की है क्योंकि यह बाहरी दुनिया के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक समझ को बढ़ाने के लिए भारत की प्रमुख परिषदों में से एक है।

4. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा विदेशी सरकारों को अग्रिमः** यह प्रावधान भारत के बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय मदद एवं सहायता कार्यक्रमों के लिए किया गया है। यह आवंटन मित्र देशों को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने में भारत की निरन्तर रूचि को दर्शाता है। यह सहायता न केवल हमारे निकट पड़ोसी देशों को दी जाती है बल्कि अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को भी दी जाती है। इस प्रावधान में भूटान म्याँमार, नेपाल और अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए एक आयोजना घटक भी शामिल है। यह प्रावधान फिलीस्तीन, अफगानिस्तान इत्यादि जैसे अन्य देशों को मानवीय सहायता एवं मदद की व्यवस्था भी करता है।

5 व 6. **लोक निर्माण कार्यों और आवासन पर पूंजी परिव्ययः** इन शीर्षो मे बढ़ती हुई वार्षिक किराया देनदारी को कम करने हेतु एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से विदेशों में आवासीय सम्पदाओं और चान्सरियों तथा भारत में कार्यालयों/संस्थानों के अधिग्रहण एवं निर्माण हेतु व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।